

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 14/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/18

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री अश्विन पुत्र श्री शीतल जैन
मैसर्स आदिनाथ ग्रोसरी प्रा. लि.
रिको एरिया, ठीकरीया, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011


निर्णय

दिनांक 25.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 29-03-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27-10-2021 को 01.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु आदिनाथ ग्रोसरी प्रा. लि. रिको एरिया, ठीकरीया, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री अश्विन पुत्र श्री शीतल जैन उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर तुअर दाल (ब्राण्ड- अरिहन्त मातृभूमी) के 500 ग्राम के 65 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे तुअर दाल (ब्राण्ड- अरिहन्त मातृभूमी) के 500 ग्राम के चार पैकेट को वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा तुअर दाल (ब्राण्ड- अरिहन्त मातृभूमी) के चार मूल पैकेट को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा

के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/290-291 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 263 दिनांक 12.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रयशुदा तुअर दाल (ब्राण्ड- अरिहन्त मातृभूमी)



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

का नमूना Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards act 2006 पाया गया। अप्रार्थी द्वारा तुअर दाल (ब्राण्ड— अरिहन्त मातृभूमी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।


प्रकरण दिनांक 29-03-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 25.04.2022 को अभियुक्त श्री अश्विन पुत्र श्री शीतल जैन मैसर्स आदिनाथ ग्रोसरी प्रा. लि. रिको एरिया, ठीकरीया, बॉसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/290-291 दिनांक 29.11.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 263 दिनांक 12.11.2021 अनुसार विक्रेता से वारंते नमूना जांच हेतु क्रयशुदा तुअर दाल (ब्राण्ड— अरिहन्त मातृभूमी) का नमूना Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।


अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिसब्रान्डेड तुअर दाल (ब्राण्ड— अरिहन्त मातृभूमी) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री अश्विन पुत्र श्री शीतल जैन मैसर्स आदिनाथ ग्रोसरी प्रा. लि. रिको एरिया, ठीकरीया, बॉसवाडा को रुपये 10,000/- (अक्षरे रु दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,





न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
द्वारा

04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णय अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बाँसवाडा (राज.)